# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/465**

मिसलनम्बर– 73/2025

1.रघुराज सिंह पुत्र श्री डुंगर सिंह उम्र 82 वर्ष

2.श्रीमती श्रीदेवी पत्नी श्री रघुराज सिंह उम्र 76 वर्ष निवासीगण मकान नम्बर 2/167, गणेश तालाब ब्लड बैंक रोड वसन्त विहार पुलिस थाना दादाबाडी कोटा

–प्रार्थीगण

**बनाम**

1.पृथ्वीराज सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह उम्र 37 वर्ष

2.श्रीमती सुनीता पत्नी पृथ्वीराज सिंह उम्र 35 वर्ष निवासीगण प्रार्थीगण का प्रथम तल 2/167, गणेश तालाब ब्लड बैंक रोड वसन्त विहार पुलिस थाना दादाबाडी कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 16/4/26

उपस्थिति:–

1.श्री हीरालाल प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री अविनाश ठाकुर अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण क्रमशः 82 वर्ष व 72 वर्ष अति वरिष्ठ नागरिक है तथा अपने जीवन संध्या में शान्ति एंव सम्मान से निवास करना चाहते है तथा प्रार्थीगण उक्त मकान में भूतल पर निवास करते है जो अपने स्वंय के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है तथा प्रार्थी क्रम 1 ने मकान नम्बर 2/167 वाके गणेश तालाब कोटा राजस्थान को हाउसिंग बोर्ड की आवंटित प्रकिया में भाग लेकर 43 वर्ष पूर्व क्रय किया था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवंटन के प्श्चात दिनांक 30.03.2001 को प्रार्थी क्रम 1 ने उक्त मकान की परप्युचल लीज डीड को उपपंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत करवाया था तभी से प्रार्थीगण उक्त मकान कम्पलीट निर्माण करवाकर निवास करते चले आ रहे है। तथा उक्त मकान का प्रार्थीगण द्वारा स्वंय की आय से ही क्रय कर निर्माण किया गया है। प्रार्थीगण अति वरिष्ठ नागरिक है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(5)

तथा प्रार्थी क्रम 1 हार्ट की गंभीर बीमारी से पीडित है। इस कारण प्रार्थी क्रम 1 की नवम्बर 2024 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और प्रार्थी क्रम 2 भी लम्बे समय से निरन्तर गंभीर बीमारी से पीडित चली आ रही है तथा प्रार्थीगण निरन्तर बीमार रहते है तथा चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। प्रार्थीगण के तीन पुत्र है जिनमे बडा पुत्र हनुमत सिंह उम्र 46 वर्ष उससे छोटा पुत्र कैलाश सिंह उम्र 44 वर्ष तीसरा अप्रर्थी क्रम 1 पृथ्वीराज सिंह उम्र 37 वर्ष का है तथा प्रार्थीगण के तीनो पुत्र विवाहित है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त मकान में अपने तीनो बहु बेटो को अनुमति स्वरूप रहने के लिये दिया था तथा प्रार्थीगण के दोनो पुत्र हनुमत सिंह एव कैलाश सिंह अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन लडाई झगडा करने के कारण कई वर्ष पूर्व घर छोडकर चले गये क्योकि अप्रार्थीगण द्वरा किये जा रहे दुर्व्यवहार के कारण पुत्र हनुमत सिंह गुडगांव जाकर रहने लगा तथा दूसरा पुत्र कैलाश सिंह अपने परिवार को लेकर कंसुआ मे जाकर रहने लग गया तथा प्रार्थीगण अपने उक्त मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करते है और अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने अपने मकान मे प्रथम तल पर रहने के लिये अनुमति दी थी इस प्रकार अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण के मकान में निवास करते चले आ रहे है। जब से प्रत्यर्थीगण के दोनो पुत्र घर छोडकर गये है तभी से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा कर अशोभनीय व्यवहार कर मारपीट करते है और मारपीट कर घर से निकालने की धमकीयाँ देते है तथा प्रार्थीगण को खाना बनाकर नहीं देते है इस कारण प्रार्थीगण अपना अलग खाना बनाकर खाते है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान का प्रथम तल के भाग पर अलग से रहने के लिये अनुमति स्वरूप दे रखा है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन किसी ना किसी बात को लेकर प्रार्थीगण के साथ अशोभनीय व्यवहार कर मारपीट कर प्रताडित करते है घर से निकालने की धमकीयों देते है तथा कहते है कि तुम उक्त मकान से निकल जाओ नहीं तो हम तुम्हे जान से खत्म कर देंगे तथा प्रार्थीगण की पुत्रपधु प्रार्थीगण को गंदी गंदी गालिया देती है तथा घर से निकल जाने को कहती है कि और प्रार्थी की बीमार पत्नी के साथ मारपीट करती है। अप्रार्थीगण द्वारा दी जा रही प्रताडनाओं से परेशान होकर प्रार्थीगण अपने दोनो पुत्रों पृथ्वीराज सिंह एव कैलाश सिंह से मदद मांगते है तो उन्हे भी अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पास नहीं आने देते है तथा अप्रार्थी क्रम 2 हमें व प्रार्थीगण के दोनो पुत्रों को झूठे मुकदमे में फसाने की धमकियां देती है और प्राथीगण के बीमार होने पर प्रार्थीगण के दोनो पुत्र हमे डॉक्टर को दिखाने एंव सहयोग करने के लिये आते है तो उन्हे देखते ही अप्रार्थीगण लडाई झगडा करते है तथा अप्रार्थीगण के भय के कारण प्रार्थीगण के दोंनो पुत्र भी प्रार्थीगण का बीमारी हालत में सहयोग नही कर पाते है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के भरण पोषण हेतु किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग नहीं करते है और मांगने पर अशोभनीय व्यवहार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करते है। अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा कर प्रार्थीगण को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण का जीना मुश्किल हो गया है जिससे प्रार्थीगण अत्यन्त भयभीत माहौल में जी रहे है जबकि प्रार्थीगण अपनी हारी बीमारी एंव खाने पीने के खर्चे दूसरे बेटो के सहयोग से स्वयं वहन करते है और उक्त मकान का नल व बिजली के बिल का भुगतान भी प्रार्थीगण के द्वारा ही जमा किया जाता है अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त मकान में रहकर स्वंय के उपभोग के नल, बिजली के बिलो का भी भुगतान नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगण का पानी की टंकी से पानी बंद कर देते है जिससे प्रार्थीगण दिन भर पानी के लिये परेशान होते रहते है। प्रार्थीगण उक्त मकान के पंजीकृत स्वामी है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त मकान को हडप कर प्रार्थीगण को प्रताडित कर उक्त मकान से बाहर निकाल कर बेदखल करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण को स्वंय के मकान से ही अप्रार्थीगण द्वारा निकाल दिया गया तो प्रार्थीगण दर दर की ठोकरे खाने के लिये मजबूर हो जायेंगे तथा प्रार्थीगण के पास स्वंय की आय से अर्जित एक मात्र निवास उक्त मकान ही है जिस पर प्रार्थीगण का पूर्ण रूप से स्वामित्व, अधिकार एंव कब्जा है। उक्त मकान मे से अप्रार्थीगण को बाहर निकाला जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है अन्यथा अप्रार्थीगण कभी भी प्राथीगण के साथ अप्रिय घटना कारित कर सकते है इसलिये अप्रार्थीगण को उक्त मकान से निकाला जाना न्यायोचित व न्यायाहित मे अति आवश्यक है। जिससे प्रार्थीगण अपने जीवन की संध्या अवस्था मे शान्ति व सम्मान से किसी कष्ट के अपना जीवन यापन कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि –प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थीगण के स्वामित्व वाले मकान के प्रथम तल को खाली कर तत्काल प्रार्थीगण को सुपुर्द करे तथा प्रार्थीगण को मासिक भरण पोषण 20,000/– रूपये नियमित रूप से अदा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। **प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार हैः–** प्रत्यर्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का पुत्र है, प्रार्थीगण किसी बहकावे में आकर स्वयं के स्वस्थ चित्त मन से निर्णय लेने में असमर्थ होने के कारण सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुयें है तथा प्रार्थीगण के साथ प्रत्यर्थी क्रम 1 के अलावा उनकी कोई संतान निवासरत नहीं है ऐसे में प्रत्यर्थी क्रम 1 अपने माता– पिता को अकेले बेसहारा नहीं छोड़ सकता, इस चरण में अंकित यह तथ्य कि मकान नं. 2/167, गणेश तालाब का निर्माण प्रार्थीगण द्वारा किया गया हो पूर्ण सत्य नहीं है, वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त मकान का निर्माण करवाया गया था। यहां यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित है कि मकान का निर्माण जिस वक्त किया गया प्रार्थीगण अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे, तथा उनकी इतनी आर्थिक हैसियत नहीं थी कि वह भवन निर्माण

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

करवा सके। प्रार्थीगण स्वयं के देखभाल करने में पूर्णतया असमर्थ है, यहा यह तथ्य और अधिक गौर करने योग्य है कि प्रार्थीगण को अकेला छोडा जाना उनके जीवन के लिये गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है ऐसे में प्रत्यर्थी क्रम 1 का प्रार्थीगण के साथ निवासरत रहना परम आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा ही प्रार्थी क्रम 1 के ऑपरेशन का सम्पूर्ण व्यय वहन करने के साथ साथ समस्त देखभाल की गई, यदि ऐसे समय पर अप्रार्थीगण मौजूद नही होते तो प्रार्थी के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता था। अप्रार्थीगण की लगातार प्रार्थीगण की देखभाल व सार संभाल करते चले आ रहे है। प्रत्यर्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का सबसे छोटा पुत्र है, प्रार्थीगण के अन्य दो पुत्र अपने अपने परिवार के साथ पृथक–पृथक अन्य स्थानो पर निवास करते है, वास्तविकता यह है कि अन्य पुत्रो को भी प्रार्थीगण द्वारा परिवार सहित निवास के लिये आवासीय परिसर पृथक से दिये हुयें है. ऐसे में प्रार्थीगण को वृद्धावस्था व बीमारी की स्थिति में अकेला छोडा जाना किसी भी रुप में न्याय संगत नहीं है। यहां यह तथ्य और अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी क्रम 1 के पास निवास के लिये उक्त परिसर के अलावा अन्य कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है ऐसे में विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार प्रत्यर्थी क्रम 1 व उसके परिवार को आवासीय परिसर से बेदखल किया जाना किसी भी विधि के तहत पोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थी व उसका परिवार प्रारम्भ से ही उक्त परिसर में निवासरत है ऐसे में प्रत्यर्थी व उसके परिवार को बेदखल किया जाना न केवल अप्रार्थीगण के निवास का संकट उत्पन्न करेगा बल्कि प्रार्थीगण के जीवन को भी प्रभावित करेगा इस प्रकार उक्त स्थिति में उभय पक्षकारान के लिये गंभीर समस्याओ को उत्पन्न कर सकता है। याचिका में प्रार्थीगण ने स्वयं लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा अप्रार्थी पृथ्वीराज सिंह से मदद मांगनी पड़ती है और अप्रार्थी पृथ्वीराज सिंह ही अप्रार्थीगण ही हरसंभव मदद करता है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित समस्त दोषारोपण सरासर मिथ्या, बनावटी, दुर्भाविक आशय से ग्रस्त एवं लोगो के भड़काने पर अंकित करवाये गये है, जो अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को एकमात्र काबिज बताया गया है जबकि स्वयं याचिका में अनेको बार यह तथ्य प्रार्थीगण द्वारा अंकित करवाये गये कि अप्रार्थीगण उक्त परिसर में परिवार सहित निवास करते है यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि याचिका में कहीं भी प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित नही किया गया कि अप्रार्थीगण के पास स्वयं व परिवार के निवास के लिये अन्य कोई परिसर मौजूद रहा हो, वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई परिसर निवास के लिये नहीं है ना ही अप्रार्थीगण स्वयं के निवास के लिये अन्य कोई परिसर की व्यवस्था करने में सक्षम है। इस चरण में अंकित यह तथ्य कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को परिसर से बेदखल करना चाहते हो सरासर झूठा, मिथ्या, बनावटी कथन है। इस शंका के समाधान के लिये एवं प्रार्थीगण को संतुष्ट किये जाने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीगण किसी भी रुप में, बिना किसी शर्त के प्रार्थीगण को विश्वास दिलाने के लिये कोई भी दस्तावेज आलेखित कर देने को तैयार है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को परिसर से बेदखल नहीं किया जावेगा, यहा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि ऐसा कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त भी नहीं है जिसकी जानकारी अप्रार्थी को पूर्ण रुप से है। अप्रार्थीगण दुर्भाविक आशय से ग्रस्त होकर उक्त मांग सिर्फ अप्रार्थी क्रम 1 से कर रहे है, जबकि याचिका में यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अप्रार्थी क्रम 1 के अलावा दो अन्य पुत्र भी है लेकिन उक्त पुत्रो के प्रति कोई जिम्मेदारी की मांग नहीं किया जाना यह प्रमाणित करता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को भयभीत करना चाहते है, प्रार्थीगण को स्पष्ट रुप से पता है कि अप्रार्थीगण मांग के अनुसार राशि अर्जित हीं नही करते है तो ऐसे में अप्रार्थीगण उक्त मांग को पूरा ही नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर राहत लेने को प्रार्थीगण तत्पर है, प्रार्थीगण यह भी जानते है कि अप्रार्थीगण के पास निवास के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नही है इसी गरज से वह अप्रार्थीगण से परिसर खाली करवाने को आमादा है, जहां तक याचिका के चरण क्रम 3 में समुचित आदेश की मांग है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की संतुष्टि के लिये बिना किसी शर्त स्वेच्छा से उनके जीवन की कुशल क्षेम को मध्य नजर रखते हुए हर सहायता देने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण की आयु शारीरिक असक्षमताओ को देखते हुए यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण सदैव उनके साथ रहे। अतः जवाब याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रस्तुत याचिका को खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को समुचित राहत प्रदान करने की कृपा करें।

**प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार हैः–** प्रार्थीगण क्रमशः 82 व 72 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है. प्रार्थीगण स्वयं की देखभाल करने में स्वतंत्र रुप से सक्षम नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं के स्वस्थ चित्त मन से निर्णय लेने में असमर्थ होने के कारण किसी के बहकावे में आकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुयें है तथा प्रार्थीगण के साथ प्रत्यर्थी क्रम 1 के अलावा उनकी कोई संतान निवासरत नहीं है ऐसे में प्रत्यर्थी क्रम 1 अपने माता– पिता को अकेले बेसहारा नहीं छोड़ सकता, साथ ही मकान का निर्माण जिस वक्त किया गया प्रार्थीगण अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे, तथा उनकी इतनी आर्थिक हैसियत नहीं थी कि वह भवन निर्माण करवा सके। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्रानुसार प्रार्थीगण स्वयं के देखभाल करने में पूर्णतया असमर्थ है, इसलिए प्रार्थीगण को अकेला छोड़ा जाना उनके जीवन के लिये गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है ऐसे में प्रत्यर्थी क्रम 2 का प्रार्थीगण के साथ निवासरत रहना परम आवश्यक है। अप्रार्थीगण की लगातार प्रार्थीगण की देखभाल व सार संभाल करते चले आ रहे है। प्रत्यर्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का सबसे छोटा पुत्र है, प्रार्थीगण के अन्य दो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(7)

पुत्र अपने अपने परिवार के साथ पृथक–पृथक अन्य स्थानो पर निवास करते है, वास्तविकता यह है कि अन्य पुत्रो को भी प्रार्थीगण द्वारा परिवार सहित निवास के लिये आवासीय परिसर पृथक से दिये हुयें है, ऐसे में प्रार्थीगण को वृद्धावस्था व बीमारी की स्थिति में अकेला छोडा जाना किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। यहां यह तथ्य और अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी क्रम 2 प्रार्थीगण की पुत्रवधू है, जो विवाह के पश्चात् पहले दिन से उक्त परिसर में परिवार सहित निवास करती चली आ रही है, ऐसे में जबकि प्रत्यर्थी क्रम 2 के पास निवास के लिये उक्त परिसर के अलावा अन्य कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार प्रत्यर्थी क्रम 2 व उसके परिवार को आवासीय परिसर से बेदखल किया जाना किसी भी विधि के तहत पोषणीय नहीं है। याचिका में कहीं भी प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित नही किया गया कि अप्रार्थीगण के पास स्वयं व परिवार के निवास के लिये अन्य कोई परिसर मौजूद रहा हो, वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई परिसर निवास के लिये नहीं है ना ही अप्रार्थीगण स्वयं के निवास के लिये अन्य कोई परिसर की व्यवस्था करने में सक्षम है। इस चरण में अंकित यह तथ्य कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को परिसर से बेदखल करना चाहते हो सरासर झूठा, मिथ्या, बनावटी कथन है। इस शंका के समाधान के लिये एवं प्रार्थीगण को संतुष्ट किये जाने के लिये अप्रार्थीगण किसी भी रुप में, बिना किसी शर्त के प्रार्थीगण को विश्वास दिलाने के लिये कोई भी दस्तावेज आलेखित कर देने को तैयार है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को परिसर से बेदखल नहीं किया जावेगा, यहा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि ऐसा कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त भी नहीं है जिसकी जानकारी अप्रार्थी को पूर्ण रुप से है। प्रार्थिया विधि की पालना करने वाली जिम्मेदार महिला गृहिणी है, प्रार्थिया का विवाह दिनांक 02.03.2008 को पृथ्वीराज सिंह पुत्र रघुराज सिंह निवासी मकान नं. 2/167, गणेश तालाब दादाबाडी, कोटा के साथ हुआ था प्रार्थिया के दो पुत्र है, जो अध्ययनरत है प्रार्थिया के ससुर रघुराज सिह, जेठ कैलाश सिंह और हनुमंत सिंह प्रारम्भ से ही प्रार्थिया को नाजायज रुप से गाली गलौच, तानाकशी कर प्रताडित करते चले आ रहे है किन्तु प्रार्थिया अपना परिवार और बच्चों के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए सबकुछ सहन करती रही है प्रार्थिया के ससुर ने अपने दोनो बेटो (प्रार्थिया के जेठों) को अलग से मकान बना कर दिया और प्रार्थिया को अपने पास रख कर उसे प्रारम्भ से ही कहा कि तेरे माता पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार शादी व दहेज नही दिया तो अब तुझे ताउम्र हमारी नौकरो की तरह सेवा करनी होगी तभी हम तुझे अपनी बहु का दर्जा देंगे, प्रार्थिया अपनी गृहस्थी बनाये रखने के लिये सबकुछ चुपचाप सहन करके अपनी जिम्मेदारिया निभाती चली आ रही है, फिर भी प्रार्थिया के ससुर रघुराज सिंह जेठ कैलाश सिंह, हनुमंत सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(10)

प्रार्थिया को लगातार प्रताडित कर रहे है उक्त तीनो प्रार्थिया को कह रहे है कि यदि तुझे इस घर में रहना है तो अपने पीहर से तीस लाख रुपये मंगवा अन्यथा घर छोड़कर चली जा, और यदि प्रार्थिया रकम नहीं देती है या घर से भी नहीं जाती है तो रघुराज सिंह, कैलाश सिंह, हनुमंत सिंह प्रार्थिया के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर प्रार्थिया व उसके दोनो बच्चो का जीवन बर्बाद कर देंगे, ताकत व जोर जबरदस्ती से प्रार्थिया व उसके दोनो बच्चो को घर से निकाल बाहर फेंक देंगे, प्रार्थी व उसके उक्त पुत्रो ने प्रार्थिया के सारे जैवरात जो उनके पास प्रार्थिया व उसके परिवारजन द्वारा अमानतन रखे हुये है, को भी बेचकर रकम हड़प लेने की धमकी दी है, प्रार्थिया का पति पृथ्वीराज सिंह अपने परिवारजनो के उक्त कृत्यो के प्रति मौन धारण किये हुये है और प्रार्थिया को धेर्य धारण कर चुपचाप रहने की हिदायत देता है, जिससे प्रार्थिया व उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रघुराज सिंह, कैलाश सिंह, हनुवंत सिंह के कृत्यो को सहन की क्षमता प्रार्थिया के पास शेष नहीं बची है, और इस कारण प्रार्थिया का जीवन संकटापन्न हो गया है प्रार्थिया के साथ हो रहे उक्त कृत्यो की रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, थानाधिकारी पुलिस थाना दादाबाडी, थानाधिकारी महिला थाना कोटा शहर को प्रस्तुत की गई है जो अनुसंधानाधीन है, इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा दुर्भाविक आशय से अप्रार्थिया क्रम 2 के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की जा रही है। अतः जवाब याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में प्रस्तुत याचिका को खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को समुचित राहत प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज इलाज के दस्तावेजात, मकान की रजिस्ट्री, नकल आदेशिका दिनांक 25.02.2026, जमानत मुचलके पृथ्वीराज, थाना दादाबाडी द्वारा पेश इस्तगासा इत्यादि पेश किये।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा कर अशोभनीय व्यवहार कर मारपीट करते है और मारपीट कर घर से निकालने की धमकीयाँ देते है। अप्रार्थी नं0 2 प्रार्थीगण एवं उनके दोनो पुत्रों को झूठो मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। प्रार्थीगण की पुत्रवधु प्रार्थीगण को गंदी गंदी गालियॉ देती है। तथा प्रार्थी की बीमार पत्नी के साथ मारपीट करती है।

प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त मकान का निर्माण करवाया गया था। यहां यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा शहर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(11)

मकान का निर्माण जिस वक्त किया गया प्रार्थीगण अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे, तथा उनकी इतनी आर्थिक हैसियत नहीं थी कि वह भवन निर्माण करवा सके। प्रार्थीगण की ओर से सम्पूर्ण याचिका में कही भी मारपीट लडाई झगड़ा सम्बंधी किसी विशिष्ट घटना का कोई विवरण प्रार्थीगण द्वारा अंकित नही किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि उक्त मकान का प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आय से ही क्रय कर निर्माण किया गया है। प्रार्थी क्रम 1 ने मकान नम्बर 2/167 वाके गणेश तालाब कोटा राजस्थान को हाउसिंग बोर्ड की आवंटित प्रकिया में भाग लेकर 43 वर्ष पूर्व क्रय किया था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवंटन के पश्चात दिनांक 30.03.2001 को प्रार्थी क्रम 1 ने उक्त मकान की परप्युचल लीज डीड को उपपंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत करवाया था तभी से प्रार्थीगण उक्त मकान कम्पलीट निर्माण करवाकर निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि उक्त मकान का निर्माण अप्रार्थी नं0 1 द्वारा करवाया गया है। प्रार्थीगण अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे तथा उनकी इतनी आर्थिक हैसियत नही थी कि वह भवन निर्माण करवा सके।

प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नही किया है ओर ना ही उक्त के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई किसी प्रकार की कार्यवाही के प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने मारपीट, गाली–गलौच से सम्बंधित कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य तो प्रमाणित है कि उपरोक्त मकान का आवंटन प्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में हो रहा है। परन्तु प्रार्थीगण अपने अन्य कथनों को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नही किया है। चूंकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है एवं अप्रार्थीगण को उक्त वर्णित मकान नम्बर 2/167, गणेश तालाब ब्लड बैंक रोड वसन्त विहार पुलिस थाना दादाबाडी कोटा से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने बाबत प्रार्थीगण की ओर से की गई प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी नं0 1 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है।

उपखण्ड अधिकारी
को.

(12)

जिस कारण से प्रार्थीगण मासिक भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को 8,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 16/4/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा